



दि प्लास्टिक एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिल
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा प्रायोजित)

THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL
(Sponsored By The Ministry Of Commerce & Industry, Deptt. Of Commerce, Government Of India)

संदर्भ संख्या: प्लेक्स/सर्किल/432
दिनांक: 22.08.2025

प्रति,
प्लेक्सकौन्सिल के सभी सदस्य/
सीओए सदस्य

प्रिय महोदय/महोदया,

विषय: डीएफआईए योजना के तहत इनपुट के सहसंबंध पर स्पष्टीकरण - सीबीआईसी परिपत्र संख्या 20/2025-सीयूएस

हम आपको सूचित करना चाहते हैं कि सीबीआईसी ने एफटीपी 2023 और अधिसूचना संख्या 25/2023-सीयूएस दिनांक 01.04.2023 के अनुसार डीएफआईए योजना के तहत आयातित इनपुट और निर्यात उत्पादों के बीच सहसंबंध की आवश्यकता पर स्पष्टीकरण प्रदान करते हुए परिपत्र संख्या 20/2025-सीयूएस दिनांक 24.07.2025 जारी किया है।

सारांश - सीबीआईसी स्पष्टीकरण:-

- तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता और विनिर्देशों का सहसंबंध केवल विदेश व्यापार नीति (एफटीपी), 2023 के पैराग्राफ 4.29 में सूचीबद्ध विशिष्ट इनपुट के लिए आवश्यक है।
- एफटीपी, 2023 के पैराग्राफ 4.12 और 4.28(iv) के तहत इनपुट के लिए:
 - शिपिंग बिल में केवल प्रयुक्त विशिष्ट इनपुट का नाम और मात्रा ही घोषित की जानी चाहिए।
 - तकनीकी विशेषताओं, गुणवत्ता या विनिर्देशों को घोषित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सदस्यों को सलाह दी जाती है कि वे परिपत्र की समीक्षा करें तथा डीएफआईए योजना के अंतर्गत मंजूरी में देरी से बचने के लिए इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

संदर्भ के लिए, पूर्ण सीबीआईसी परिपत्र आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है <https://taxinformation.cbic.gov.in/view-pdf/1003286/ENG/Circulars>

यह आपकी जानकारी के लिए है.

सादर,

भारती परवे
उप निदेशक
प्लेक्सकौन्सिल